भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4105
उत्तर देने की तारीख : 12.12.2019

वक्फ संपत्तियां

4105. कुंवर दानिश अलीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वक्फ संपत्तियों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अनेक वक्फ संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की देश में विशेषकर अल्पसंख्यकों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए वक्फ संपत्तियों पर आधुनिक विद्यालय/कॉलेज खोलने/स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): वक्फ अधिनियम, 1995 यथा संशोधित की धारा 32 के उपबंधों के अनुसार, किसी भी राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों के सामान्य अधीक्षण की जिम्मेदारी राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) के पास होती है तथा वक्फ बोर्ड को इन वक्फ संपत्तियों का संचालन करने का अधिकार होता है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के ब्यौरे का रख–रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूएएमएसआई (वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया) नामक एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल सृजित किया गया है। अब तक 6,00,723 अचल वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर पंजीकृत की जा चुकी हैं।

(ख) विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों से प्राप्त केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अतिक्रमण का सामना कर रही वक्फ संपत्तियों की संख्या की राज्य–वार स्थिति अनुलग्नक में दर्शायी गई है।

(ग) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश के अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), जिसे पूर्व में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के रूप में जाना जाता था, नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक परिसंपत्तियां विकसित करना तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एमएसडीपी के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परियोजनाएं केवल सरकारी भूमि पर ही प्रस्तावित की जा सकती थीं। तथापि, पुनर्संरचित पीएमजेवीके, जिसे 2018–19 से कार्यान्वित किया गया, में अन्य बातों के अलावा, पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत वक्फ की भूमि अथवा अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की इसी प्रकार की भूमि पर परियोजनाओं का निर्माण करने की व्यवस्था है। पीएमजेवीके के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की किस्मों में अन्य बातों के साथ–साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा प्रस्तावित शैक्षिक संस्थाएं जैसे कि डिग्री कालेज, आवासीय विद्यालय, नए स्कूली भवन, छात्रावास, अतिरिक्त क्लास–रूम, स्कूलों में प्रयोगशाला कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास–रूम आदि शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक

"वक्फ संपत्तियां" के बारे में कुंवर दानिश अली द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 12.12.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4105 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही वक्फ संपत्तियों की राज्यवार स्थिति का विवरण

क्र. सं.	वक्फ बोर्ड का नाम	निजी संगठनों/व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या
1.	पंजाब वक्फ बोर्ड	5,610
2.	मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड	3,240
3.	पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड	3,082
4.	तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड	1,335
5.	कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड	862
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड	754
7.	हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड	503
8.	दिल्ली वक्फ बोर्ड	373
9.	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड	200
10.	असम वक्फ बोर्ड	191
11.	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	180
12.	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड	164
13.	उत्तराखंड वक्फ बोर्ड	119
14.	महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड	81
15.	मणिपुर वक्फ बोर्ड	76
16.	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	58
17.	त्रिपुरा वक्फ बोर्ड	41
18.	केरल राज्य वक्फ बोर्ड	29
19.	उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड	12
20.	ओडिशा वक्फ बोर्ड	7
21.	चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड	6
22.	पुडुचेरी वक्फ बोर्ड	5
23.	झारखंड वक्फ बोर्ड	2
24.	अंडमान और निकोबार वक्फ बोर्ड	1

******